

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 156875  
ग्रा0वि0-11/अंकेक्षण/वित्त 41/2011

पटना/ दिनांक 28-07-2013

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त, (बिहार)

विषय :- वित्त-(अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या 220 दिनांक 26.04.12 द्वारा वर्ष वित्तीय-वर्ष 1959-90 से 1991-1992 के वित्त- अंकेक्षण प्रतिवेदन में सन्निहित गवन । दुर्विनियोग क्षति । वसूली योग्य राशि को शीघ्र जमा करने एवं दाषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 150306 दिनांक 30.05.2013,


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 150306 दिनांक 30.05.2013 द्वारा माँगा गया वांछित प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 से 91-92 तक का आंकेक्षण प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है ।

पुनः अनुरोध है कि अविलंब वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के वित्त-अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन में प्रखंडों से राशि जमा करते हुए दाषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर वित्त-(अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदन करें, और उसकी सूचना विभाग को अविलंब भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन



(शैलेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।